न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1046–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–3–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 441/अपील/13–14.

राजेश्वरी बाई पत्नी स्व. सीताराम (मृत) द्वारा वारिसान–

1– मोहन कुमार पुत्र स्व. सीताराम
2– राजनारायण पुत्र स्व. सीताराम
3– राजकुमार पुत्र स्व. सीताराम
निवासीगण ग्राम कानाखेड़ाकलां
तहसील व जिला रायसेन
4– छुटियाबाई पुत्री स्व. सीताराम पत्नी झब्बूलाल
निवासी कांवड़ मोहल्ला
पुरानी इटारसी

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1– विमलाबाई पुत्री स्व. सीताराम पत्नी संतोष चौधरी
2– निर्मलाबाई पुत्री स्व. सीताराम पत्नी दीपक चौधरी
निवासीगण कावड़ मोहल्ला, देवल मन्दिर के पास
पुरानी इटारसी, तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद
3– संदीप कुमार उर्फ सोनू पुत्र मोहन कुमार
निवासी वार्ड कमांक 14 कानाखेड़ा कलां
सांची, तहसील व जिला रायसेन

.....अनावेदकगण

श्री मेहरबान सिंह, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/11/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–3–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण की माता मृतक राजेश्वरी बाई के पति स्व. सीताराम के नाम कुल किता 17 कुल रकबा 36.56 एकड़ स्थित ग्राम कानाखेड़ा कलां में 40 प्रतिशत हिस्सा था । सीताराम की मृत्यु उपरांत नायब तहसीलदार द्वारा सहमति के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर राजेश्वरी बाई के नाम नामांतरण किये जाने का आदेश दिया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा लगभग 6 वर्ष पश्चात प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27–6–2014 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर स्व. सीताराम के सभी उत्तराधिकारियों के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित किये जाने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 8–3–2016 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि स्व. सीताराम के स्थान पर उनकी पत्नी राजेश्वरी देवी का नाम सहमति के आधार पर दर्ज किया गया है, और सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है, इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित आदेश है । यह भी कहा गया कि अनावेदक अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं, और उनके द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाते हुए 6 वर्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है । अतः अवधि बाह्य एवं कुसंयोजित अपील में सुनवाई कर आदेश पारित करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि की गंभीर भूल की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान में राजेश्वरी की मृत्यु हो चुकी है, और उनके वारिसान अभिलेख पर आ चुके हैं ।

4/ अनावेदक कमांक 3 की ओर से लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) भूमिस्वामी स्व. सीताराम की मृत्यु ग्राम कानाखेड़ा कलां में हुई है, ऐसी स्थिति में उनकी भूमियों पर सभी वैध उत्तराधिकारियों का बराबर हक है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मृतक भूमिस्वामी स्व. सीताराम के सभी उत्तराधिकारियों का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर दर्ज करने का आदेश देने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

(3) चूंकि अनावेदकगण द्वारा मृतक भूमिस्वामी स्व. सीताराम के स्थान पर राजेश्वरी बाई के पक्ष में किये गये नामांतरण को अपील में चुनौती दी गई थी, इसलिए पक्षकार के कुसंयोजन का कोई दोष अपील में नहीं था ।

(4) चूंकि तहसील न्यायालय में राजेश्वरी बाई द्वारा मृतक भूमिस्वामी स्व. सीताराम के वैध वारिसों को छिपाकर अपना नाम दर्ज करा लिया था, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय का आदेश पूर्णतः विधि विपरीत होकर क्षेत्राधिकार रहित आदेश है, और ऐसे आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में समय–सीमा का बंधन नहीं रहता है ।

5/ अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा नामांतरण आदेश पारित करने में अनावेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, जबकि अनावेदिका कमांक 1 व 2 स्व. भूमिस्वामी सीताराम की पुत्रियां होकर विधिक वारिस हैं । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर स्व. सीताराम के सभी वैध वारिसानों के नाम राजस्व अभिलेखों में नियमानुसार दर्ज किये जाने के आदेश देने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–3–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर